

न्यायालय तहसीलदार नजूल जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

//ईशतहार//

रा.प्र.क्र. 202407051100006/अ-20(1)/2023-24

ग्राम-कोरबा, प.ह.नं. 16

तहसील व जिला-कोरबा (छ.ग.)

एतद् द्वारा सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि ग्राम कोरबा, प0ह0नं0-16, तहसील व जिला कोरबा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 235/1 में से रकबा 69.49 एकड़, 235/7 में से 9.23 एकड़, 245/1 में से 38.77 एकड़ एवं ग्राम रामपुर प0ह0नं0 17 तहसील व जिला कोरबा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं0 202 (नया खसरा नंबर 884, 885, 886, 887, 888, 890, 892) में से 1.84 एकड़, कुल रकबा 113.33 एकड़ भूमि को आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा को आबंटित किया जाना प्रस्तावित है।

इस संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 10-10-2024 तक दावा/आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा के साथ जारी किया गया।

पृ.क्रमांक / 13685/नजूल/2024
प्रतिलिपि :-

तहसीलदार नजूल
जिला कोरबा (छ.ग.)
कोरबा दिनांक 25/09/2024



आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि किसी दो दैनिक समाचार पत्र में ईशतहार प्रकाशन कराकर ईशतहार की मूल प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

तहसीलदार नजूल
जिला कोरबा (छ.ग.)